189

संख्याः 133/X-4-14/1-03(01)2014

प्रेषक,

पी0के0पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादूनः दिनांकः 10 सितम्बर, 2014

विषयः जनपद चम्पावत के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी संस्थान/इंजीनियरिंग कालेज, टनकपुर के निर्माण हेतु 0.980 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकि शिक्षा विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 580/2जी-583 (चम्पा0), दिनांक 03.09.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 13.02.2014 के क्रम में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी संस्थान/इंजीनियरिंग कालेज, टनकपुर के निर्माण हेतु 0.980 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकि शिक्षा विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती हैः-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो, उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 10 वर्षों तक यथोचित वृक्षारोपण के लिए जमा की गयी धनराशि से वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आसपास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
8. मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।

9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/ किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

14. प्रयोक्ता एजेन्सी मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्ताव में दिये गये प्रमाण–पत्र के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान ही वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नाले/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये गये मक डिस्पोजल का निरीक्षण कर प्रमाण–पत्र भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन कियाा जायेगा।

16. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल के आसपास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस स्वीकृति को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(पी0के0पात्रो)
अपर सचिव।

<u>संख्याः 133 (1) X-4-14/1–03(01)2014, तददिनांकित्।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आइ0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
5. जिलाधिकारी, चम्पावत।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वनप्रभाग, हल्द्वानी।
7. नोडल अधिकारी, प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Akhilesh

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।